

नवभारत



मुंबई रोड शो में बरसा निवेश 90 हजार करोड़ के प्रस्ताव मध्यप्रदेश-महाराष्ट्र एक मां की दो संतान :सीएम

- ▶ प्रदेश के 14375 लोगों को मिलेगा रोजगार
- ▶ मुंबई निवेशकों का गढ़ मग्न संभावनाओं का गढ़



3 हजार करोड़ का निवेश करेगा सन फार्मा

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मुंबई के होटल द सेंट रेजिस में आयोजित इंटरैक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज इन मध्यप्रदेश में सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष दिलीप सांघवी से चर्चा की. सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड की ओर से पीथमपुर में लगभग 3,000 करोड़ रुपये के निवेश से ग्रीनफील्ड परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव है. इस परियोजना के तहत भारत, अमेरिका, यूरोप और अन्य प्रमुख बाजारों के लिए औषधि फॉर्मूलेशन विनिर्माण सुविधाएं विकसित की जाएंगी.

इस्का करेगा 1,080 करोड़ का निवेश
सीएम ने इस्का लैबोरेटरीज लिमिटेड के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी अजीत कुमार जैन से चर्चा की। इस्का लैबोरेटरीज ने देवास में लगभग 1,000 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव रखा है. इस परियोजना से लगभग 1,000 रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है.

कि मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मग्न और महाराष्ट्र एक माँ की दो संतानों की तरह हैं. मुंबई और महाराष्ट्र वैश्विक दृष्टि से सक्षम निवेशकों का गढ़ है, वहीं मग्न संभावनाओं का गढ़ है. जीआईएस के माध्यम से प्राप्त निवेश प्रस्तावों में से 30 प्रतिशत से अधिक, लगभग 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश

प्रस्ताव धरातल पर उतर चुके हैं. ऐसे में हम अगले वर्ष एक बार फिर जीआईएस आयोजित करने जा रहे हैं और आज के रोड शो के माध्यम से सभी निवेशकों को उसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है. आज वन-टू-वन बैठकों में अनेक निवेशकों के साथ चर्चा हुई.

▶ **एक नजर में** ◀
दो बुजुर्ग साइबर ठगी के शिकार, 3.39 लाख उड़ाए ग्वालियर. शहर में साइबर ठगी के दो अलग-अलग मामलों में दो बुजुर्गों को निशाना बनाया गया. बहोड़ापुर थाना क्षेत्र के बहाने कोई बदतकर 39,500 रुपए निकाल लिए गए, जबकि झांसी रोड क्षेत्र में ऑनलाइन धोखाधड़ी के जरिए बुजुर्ग के खाते से 2.99 लाख रुपए निकाल लिए गए. दोनों मामलों में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. बहोड़ापुर थाना क्षेत्र के सागरताल चौराहा निवासी 65 वर्षीय मोहन सिंह तोमर 2 अक्टूबर की रात आनंद नगर चौराहे के पास एसबीआई एटीएम से रुपए निकालने पहुंचे थे. डोडाचूरा मामले में दो पुलिसकर्मी लाइन अटैच रतलाम. नामली थाने में पदस्थ हेड कांस्टेबल दिलीप रावत और कांस्टेबल माखनसिंह को एसपी अमित कुमार ने लाइन अटैच किया है. दोनों पर डोडाचूरा से भरी कार को कार्रवाई किए बिना छोड़ने के आरोप हैं. मामले की जांच ग्रामीण एसएसपी विवेक कुमार को सौंपी गई है. जानकारी के अनुसार घटना 4 अक्टूबर की रात बड़ीदा फटा के पास की बताई जा रही है. यहां दाबी पर पुलिस चेकिंग के दौरान काले रंग की क्रेटा कार में डोडाचूरा मिलने की बात सामने आई.

सुलह की गुंजाइश नहीं तो इंतजार जरूरी नहीं

- ▶ **इंदौर हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट का आदेश पलटा**
- ▶ **आवेदन पर नए सिरे से फैसला करने के निर्देश**



नवभारत न्यूज
इंदौर, 8 अक्टूबर. आपसी सहमति से तलाक के मामले में छह महीने की प्रतीक्षा अवधि से हर स्थिति में गुजरना जरूरी नहीं है. यदि पति-पत्नी लंबे समय से अलग रह रहे हों और उनके फिर साथ रहने की संभावना नहीं हो तो कोर्ट परिस्थितियों को देखते हुए इस अवधि को माफ करने पर विचार कर सकता है.

मामला ऐसे दंपती से जुड़ा है जो अप्रैल 2025 से अलग रह रहे हैं. दोनों ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13-बी के तहत आपसी सहमति से तलाक के लिए फैमिली कोर्ट में संयुक्त आवेदन दिया था. पति ने छह महीने की प्रतीक्षा अवधि हटाने के लिए आवेदन किया, लेकिन फैमिली कोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया. वहां अगली सुनवाई 4 अप्रैल

सेंट्रल जेल में कैदियों के बीमार होने से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट

- ▶ **तीन में डेंगू की पुष्टि, कई कैदियों को बुखार**
- ▶ **जेल में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भी जांच**

शिकायत सामने आई है. इसके बाद बीमार कैदियों के स्वास्थ्य पर निगरानी रखी जा रही है. जेल प्रशासन के मुताबिक, बुखार से पीड़ित कुछ कैदियों के प्लेटलेट्स कम होने की रिपोर्ट भी आई है, इन कैदियों का उपचार चल रहा है. जेल में प्रतिदिन करीब 150 कैदियों की ओपीडी होती है, जिसमें बीमार कैदियों की जांच और उपचार किया जा रहा है. स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भी जेल पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और कैदियों की जांच की.

नव भारत न्यूज
इंदौर. सेंट्रल जेल में बड़ी संख्या में कैदियों के बुखार से पीड़ित होने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जेल पहुंचकर जांच की. जांच के दौरान तीन कैदियों में डेंगू की पुष्टि हुई है, जबकि कुछ अन्य कैदियों में टाइफाइड की

न्यू मार्केट में छोले-भटूरे होटल समेत 6 दुकानें खाक



लाखों का नुकसान
▶ दोपहर 3 बजे लगी थी आग,
▶ देर रात तक बुझाने में लगी रहीं दमकलें

नवभारत संवाददाता भोपाल, 8 अक्टूबर. राजधानी के सबसे व्यस्ततम बाजार न्यू मार्केट में गुरुवार दोपहर लगभग 3 बजे आग लग गई. आग मार्केट में हनुमान मंदिर के पीछे संचालित बालाजी छोले भटूरे की दुकान से शुरू हुई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और आसपास की पांच अन्य दुकानों की भी अपनी चपेट में ले लिया. घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन व्यापारियों का करोड़ों रुपए का सामान जलकर राख हो गया. आग लगते ही ग्राहक, कर्मचारी और दुकानदार अपनी जान बचाकर बाहर भागे. सूचना मिलने पर नगर निगम के फायर विभाग की दमकलें मौके के लिए

रवाना हुई. हालांकि न्यू मार्केट के अंदर रास्ते के दोनों तरफ हाथ ठेले वालों के अतिक्रमण के कारण दमकलों को अंदर पहुंचने में परेशानी हुई. करीब आधे घंटे की देरी से दमकलें घटनास्थल तक पहुंच सकीं. आग बुझाने का काम देर रात तक जारी रहा. आग से बालाजी और आम्रपाली छोले भटूरे की दुकान, उसके बगल की सूट की दुकान, लक्ष्मी इलेक्ट्रॉनिक, प्रदीप बर्तन भंडार और विजय स्टोर कपड़े की दुकान को भारी नुकसान हुआ है.

तीसरी मंजिल से कूदकर बचाई जान
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आम्रपाली छोले भटूरे के संचालक पवन अग्रवाल और उनके नौकर ऊपर फंस गए थे. रास्ता आग की लपटों से घिरने पर उन्होंने तीसरी मंजिल से बाहर छलांग लगाई. वे नीचे शेंड पर गिरे और लुढ़कते हुए सड़क पर आ गए. दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया.

शॉर्ट सर्किट या गर्म तेल से आग की आशंका
आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं है. प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट या कढ़ाई के गर्म तेल से आग भड़कने की आशंका जताई जा रही है. दमकल विभाग की जांच के बाद ही कारण स्पष्ट होगा.

फर्जी डिग्री पर 20 साल नौकरी 51 शिक्षकों पर एफआईआर के आदेश

100 करोड़ से ज्यादा वेतन लेने का दावा

23 अन्य शिक्षकों के दस्तावेजों की भी जांच
को आरोपित शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं. विभाग अब सेवाएं समाप्त करने के साथ वेतन के रूप में मिली राशि की वसूली की तैयारी भी कर रहा है.

जांच रिपोर्ट के अनुसार, इन शिक्षकों की भर्ती वर्ष 2006-07 में संविदा शाला शिक्षक के रूप में हुई थी. विभाग का दावा है कि करीब दो दशक में वेतन और भत्तों के रूप में 100 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया गया.मामले में लोकायुक्त संगठन भी जांच कर रहा है. लोकायुक्त ने शिक्षा विभाग से 74 संदिग्ध शिक्षकों का सेवा रिकॉर्ड मांगा है. इनमें 51 पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.

वर्ष 2021 की शिकायत से खुला मामला
मामले की शुरुआत वर्ष 2021 में मिली एक शिकायत से हुई. इसके बाद माध्यमिक शिक्षा मंडल से शिक्षकों की अंकसूचियों का सत्यापन कराया गया. जांच में कुछ अंकसूचियां बोर्ड से जारी नहीं होने की जानकारी सामने आई. कुछ मामलों में एक ही अनुक्रमांक पर अलग-अलग परीक्षार्थियों के दस्तावेज मिले. बाद में एसटीएफ भोपाल की जांच में भी संबंधित डिग्रियों को फर्जी और कूटचित्र बताया गया.

25 से बंद होगी इंदौर-जबलपुर सीधी उड़ान

- ▶ **जबलपुर के यात्रियों को अब ट्रेन-बस का सहारा**
- ▶ **प्रदेश में इंदौर से सिर्फ रीवा के लिए सीधी हवाई सेवा**



नवभारत न्यूज
इंदौर, 8 अक्टूबर. इंदौर के हवाई यात्रियों को विंटर सीजन में बड़ा झटका लगने जा रहा है. 25 अक्टूबर से इंदौर-जबलपुर की सीधी उड़ान बंद हो जाएगी. इसके बाद इंदौर से मध्यप्रदेश के शहरों में सिर्फ रीवा के लिए सीधी हवाई सेवा उपलब्ध रहेगी. उड़ान बंद होने से जबलपुर जाने वाले यात्रियों को अब रेल या

सड़क परिवहन पर निर्भर रहना पड़ेगा. जबलपुर से सुबह उड़ान इंदौर पहुंचती है और शाम 4.05 बजे इंदौर से जबलपुर के लिए रवाना होती है. दोनों शहरों के बीच हवाई सफर करीब डेढ़ घंटे में पूरा हो जाता है. उड़ान बंद होने के बाद यात्रियों को ट्रेन या बस से सफर करना होगा. इंदौर से जबलपुर के लिए ओवरनाइट और नर्मदा एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें उपलब्ध हैं.

गिरिबाला की जमानत पर 16 को सुनवाई

जबलपुर. भोपाल के चर्चित दिवशा शर्मा मौत मामले में पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश और दिवशा की सास गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका पर गुरुवार को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ में सुनवाई हुई. जस्टिस अजय कुमार निरकारी की एकमतत याचिका में गिरिबाला सिंह को जमानत आवेदन में संशोधन की अनुमति दे दी. अब जमानत याचिका में देहेज प्रताड़ना से जुड़े आरोपों के बजाय आत्महत्या से संबंधित आरोपों पर सुनवाई होगी. मामले में अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को तय की गई है.

हाईकोर्ट ने कैट के आदेश को रखा बरकरार, केंद्र चुनौती खारिज आईपीएस कैडर रिव्यू का रास्ता साफ

नवभारत न्यूज, जबलपुर, 8 अक्टूबर. मध्यप्रदेश के राज्य पुलिस सेवा के उन अधिकारियों के लिए आईपीएस में शामिल होने का रास्ता साफ हो गया है, जो निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं. मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने आईपीएस कैडर रिव्यू में देरी को लेकर केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) के आदेश को चुनौती देने वाली केंद्र सरकार की याचिका खारिज कर दी है. इससे कैट का 9 जनवरी 2026 का

आदेश प्रभावी रहेगा. कैट ने केंद्र और राज्य सरकार को मध्यप्रदेश के लिए अतिरिक्त विशेष कैडर रिव्यू कराने और राज्य पुलिस सेवा के पात्र अधिकारियों को शामिल करने के निर्देश दिए थे. इसके लिए 120 दिन की समयसीमा तय की गई थी. कैट के

समक्ष बताया गया था कि उस समय डीएसपी और एसपी स्तर के करीब 200 अधिकारी आठ वर्ष से अधिक की सेवा पूरी कर चुके थे और उम्र सहित अन्य शर्तें पूरी करने पर आईपीएस में शामिल होने की पात्रता रखते थे. मामले का मध्यप्रदेश पुलिस एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका से जुड़ा है. एसोसिएशन ने कैडर रिव्यू में देरी से राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों की पदोन्नति की संभावनाएं प्रभावित होने का मुद्दा उठाया था.

अवैध कॉलोनी बनाकर काटे 70 प्लॉट

8 पर एफआईआर

- ▶ **न अनुमति ली, न लेआउट मंजूर कराया**
- ▶ **बिना रेरा अनुमति के प्लॉट बेचने का आरोप**

नवभारत न्यूज
जबलपुर. कटंगी थाना क्षेत्र के कूड़न में बिना वैध अनुमति कॉलोनी विकसित कर 70 आवासीय प्लॉट काटने के मामले में पुलिस ने कॉलोनाइजर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है.

नगर परिवद कटंगी की मुख्य नगर पालिका अधिकारी स्नेहा मिश्रा के प्रतिवेदन और अनुविभागीय अधिकारी पाटन की जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की गई है. जांच के अनुसार कूड़न में खसरा नंबर 144/4 और 157/2 की करीब दो एकड़ जमीन पर अवैध रूप से प्लॉट काटे गए. रिपोर्ट में बताया गया कि यह गतिविधि 7 जनवरी 2005 से 7 सितंबर 2026 तक जारी रही.

सरकारी और मंदिर की जमीन से हटाया अतिक्रमण

नवभारत न्यूज
इंदौर, 8 अक्टूबर. सरकारी और मंदिर की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए प्रशासन ने गुरुवार को खुड्डेल और राऊत तहसील में कार्रवाई की. खुड्डेल के ग्राम आशाखेड़ी में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनी के निर्माण हटाए गए, जबकि राऊत के माचला गांव में खुड्डापति हनुमान मंदिर की जमीन पर बनाए गए अवैध रास्ते को हटाकर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया.



खुड्डेल तहसील के ग्राम आशाखेड़ी में करीब दो हेक्टेयर यानी पांच एकड़ सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर कॉलोनी विकसित करने और प्लॉट बेचने की जानकारी सामने आई थी. प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर निर्माणाधीन सड़क और अन्य अवैध निर्माण हटाए.

खतरे के बीच रखा था 34 हजार लीटर सॉल्वेंट

इंदौर. सांवर रोड स्थित दो औद्योगिक परिसरों में बिना वैध लाइसेंस और अनुमति के 34 हजार लीटर अतिज्वलनशील सॉल्वेंट का भंडारण मिलने पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है. जांच के दौरान सनी पेंड एंड तार और एमपीडी इंडस्ट्रीज प्रा. लि. से जुड़े परिसरों से 32 हजार लीटर एमटीओ और 2 हजार लीटर जाइलीन जब्त किया गया. जिला प्रशासन की टीम ने जांच के दौरान पाया कि ज्वलनशील एवं विस्फोटक प्रकृति के पदार्थ अधिकृत भंडारण स्थल के बजाय अन्य स्थान पर रखे गए थे.पदार्थों का बिना वैध लाइसेंस और अनुमति के भंडारण कर रहे थे.

कार्रवाई ▶ **बंटान दस्तावेज राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने का आरोप, कोर्ट ने जेल भेजा**

जमीन हड़पने में सेवानिवृत्त आईबी डीएसपी गिरफ्तार

विशेष प्रतिनिधि
भोपाल. शाहपुरा क्षेत्र में पड़ोसी की जमीन पर दावा करने के लिए फर्जी बंटान दस्तावेज तैयार कराने के मामले में पुलिस ने आईबी के सेवानिवृत्त डीएसपी रविंद्र डोंगे को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने बुधवार रात गिरफ्तारी के बाद गुरुवार को उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां से जेल भेज दिया गया. डोंगे वर्ष 2022 में भोपाल में आईबी के डीएसपी पद से सेवानिवृत्त हुए थे. वे शाहपुरा की महिंद्रा फंस-1



और मां सुधा गर्ग के नाम दर्ज है. यह जमीन बीडीए की योजना के तहत विनिमय प्रक्रिया में शामिल है. अनुराग गर्ग ने क्राइम ब्रांच में शिकायत कर आरोप लगाया कि

रविंद्र डोंगे और उनके भाई मनोज ने इस जमीन पर दावा करने के लिए फर्जी बंटान दस्तावेज का इस्तेमाल किया. इसमें गर्ग परिवार के नाम दर्ज जमीन का हिस्सा भी दर्शाया गया. शिकायत के मुताबिक रविंद्र और मनोज डोंगे ने वर्ष 1994 में खसरा नंबर 293 की 0.50 डेसीमल जमीन खरीदी थी. इसके बाद 3 अप्रैल 2000 का बंटान दस्तावेज तैयार किया गया. इसी के आधार पर रविंद्र डोंगे ने एसडीओ कोलार के समक्ष अपील की थी, जिसका

हिस्सा बेचने के बाद भी ज्यादा जमीन का दावा
डोंगे परिवार जमीन का एक हिस्सा पहले ही बेच चुका था. इसके बावजूद बंटान दस्तावेज के आधार पर अधिक जमीन पर दावा किया गया. दस्तावेज में अलग-अलग तारीखें होने और कुछ स्थानों पर सुधार किए जाने की बात भी शिकायत में कही गई है. थाना प्रभारी संतोष मरकाम ने बताया कि क्राइम ब्रांच से मिली शिकायत और दस्तावेजों की जांच में प्रथम दृष्टया अपराध पाए जाने के बाद प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया.

निराकरण 7 फरवरी 2023 को हुआ. शिकायतकर्ता के अनुसार एसडीओ के आदेश में उल्लेख है कि 3 अप्रैल 2000 का बंटान राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं है. यह भी स्पष्ट नहीं है कि बंटान का

आदेश किस राजस्व प्रकरण में पारित हुआ था. आरोप है कि बंटान संबंधित पटवारी ने तैयार नहीं किया था और न ही तहसीलदार से स्वीकृत कराया गया.